



कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक / 7879 / तकनीकी / टीसी / 447 / 2017
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 9-10-17

क्षेत्रीय / अति.क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी,
.....(समस्त)मध्यप्रदेश

विषय:- M/s BENTINCK IDUSTRIES PRIVET LIMITED, द्वारा निर्मित ई-रिक्शा को मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन की अनुमति दिये जाने बाबत।

M/s BENTINCK IDUSTRIES PRIVET LIMITED, द्वारा निर्मित ई-रिक्शा को आईकेट पुणे, द्वारा जारी प्रोटोटाईप प्रमाण पत्र (नोटराईज) प्रस्तुत किया है। जिनके परीक्षण उपरांत वाहन को मध्यप्रदेश राज्य में अनुमति प्रदान की जाती है। वाहन का विवरण निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	6	7	8
S. No.	BASE MODEL	WATT	WB	SEATING CAPACITY (incl. dri.)	GVW/ KW (k.g.)	Ex. Showroom Price	CERTIFICATE NO.
1	INDIAN BUGGY Special Purpose Battery Operated Thre Wheeler E-rickshaw	943 W	2200 mm	05	720/ 340	1,13,648/-	CAMB 0162 DT:- 17-07-2017

उपरोक्त वाहन का पंजीयन मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 की संशोधित अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर.-709 (ई) दिनांक 08.10.2014 में विहित प्रावधानों के तहत करना सुनिश्चित करें।

(परिवहन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

[Signature]
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
मध्यप्रदेश
07-10-18

पृ. क्रमांक / 7879 / तकनीकी / टीसी / 447 / 2017
प्रतिलिपि:-

ग्वालियर, दिनांक 9-10-17

1. M/s BENTINCK IDUSTRIES PRIVET LIMITED, Jajodia Mansions: 5, No. Bentinck Street, Kolkata- 700 001, की ओर भेजकर लेख है कि वाहन की कीमत में बढोत्तरी / परिवर्तन किया जाता है, तो इस कार्यालय को सूचित करना आवश्यक होगा।

2. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर, मुख्यालय ग्वालियर, की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि उक्त वाहन के मॉडल को सेन्टर सर्वर के कम्प्यूटर में दर्ज करें तथा समस्त परिवहन कार्यालयों को ई-मेल करें।

[Signature]
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
मध्यप्रदेश
07-10-18